ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र संख्या 178 / 2021** **अनुवान खेताराम बनाम कालूराम वगैरह**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
1.2025	वकील वादी गैर हाजिर। वकील वादी को आवाजे लगवाई गई। परन्तु वकील वादी एवं प्रकरण में संयोजित कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2021 से प्रतिवादीगण की तलबी में लम्बित चल रहा है। प्रकरण में वकील वादी को गत तारीख पेशी 10.09.2025 पर अन्तिम अवसर प्रकरण में प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी तलब किये जाने एवं डिलीवर्ड रिपोर्ट व रसीदे पेश करने हेतु हिदायत दी गई कि आगामी पेशी पर तलबी सम्मन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रकरण में सीपीसी प्रावधानुसार कार्यवाही की जावेगी। वकील वादी आज भी बावजूद तारीख पेशी सूचना के गैर हाजिर रहे है, तथा ना ही प्रकरण में रजिस्टर्ड एडी सम्मन इत्यादि पेश हुये। ऐसा प्रतीत होता है कि वकील वादी वादपत्र को चलाने में इच्छुक नहीं है। अतः वादी का वाद पत्र पत्र अधीन धारा 88, 53, 188 आरटीएक्ट 1955 अदम हाजरी व अदम पैरवी एवं न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर अदम तकमील में सीपीसी आदेश 09 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	